

UPPCS सामान्य अध्ययन

भारतीय इतिहास

खण्ड 3: आधुनिक भारत

आधुनिक भारत, कला-संस्कृति, उत्तर प्रदेश एवं स्वतंत्रता के बाद
सम्पूर्ण समयरेखा पुस्तक



लेखक: शैलेन्द्र यादव 2026

विषय-सूची

भाग-1 : आधुनिक भारत

3

अध्याय 13

भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार (1757-1857 ईस्वी)

4

अध्याय 14

1857 की क्रांति एवं पूर्ववर्ती विद्रोह

15

अध्याय 14A

विशेष: भारत के सभी विद्रोह एवं आंदोलन (लगभग 1757-1947 ईस्वी)

25

अध्याय 15

सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन (19वीं-20वीं शताब्दी)

42

अध्याय 16

राष्ट्रीय आंदोलन — प्रथम चरण (1885-1919)

53

अध्याय 17

राष्ट्रीय आंदोलन — गांधी युग (1919-1947)

62

अध्याय 17A

विशेष: क्रांतिकारी गतिविधियाँ (1897-1940)

73

अध्याय 19

गवर्नर-जनरल, वायसराय एवं प्रमुख अधिनियम (1773-1947)

82

अध्याय 20

किसान, जनजातीय एवं मज़दूर आंदोलन

94

भाग-2 : कला एवं संस्कृति

104

अध्याय 18

कला एवं संस्कृति

105

भाग-3 : उत्तर प्रदेश विशेष

116

अध्याय 21

उत्तर प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति

117

भाग-4 : स्वतंत्रता के बाद का भारत

130

अध्याय 22

स्वतंत्रता के बाद का भारत

131

भाग-3

आधुनिक भारत

ब्रिटिश सत्ता के विस्तार से स्वतंत्रता तक

अध्याय 13 — भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार (1757-1857 ईस्वी)

अध्याय 14 — 1857 की क्रांति एवं पूर्ववर्ती विद्रोह

अध्याय 14A — विशेष: भारत के सभी विद्रोह एवं आंदोलन (लगभग 1757-1947 ईस्वी)

अध्याय 15 — सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन (19वीं-20वीं शताब्दी)

अध्याय 16 — राष्ट्रीय आंदोलन — प्रथम चरण (1885-1919)

अध्याय 17 — राष्ट्रीय आंदोलन — गांधी युग (1919-1947)

अध्याय 17A — विशेष: क्रांतिकारी गतिविधियाँ (1897-1940)

अध्याय 19 — गवर्नर-जनरल, वायसराय एवं प्रमुख अधिनियम (1773-1947)

अध्याय 20 — किसान, जनजातीय एवं मज़दूर आंदोलन

इतिहास अध्याय 13 — समयरेखा एवं महत्वपूर्ण बिंदु: भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार (1757-1857 ईस्वी)

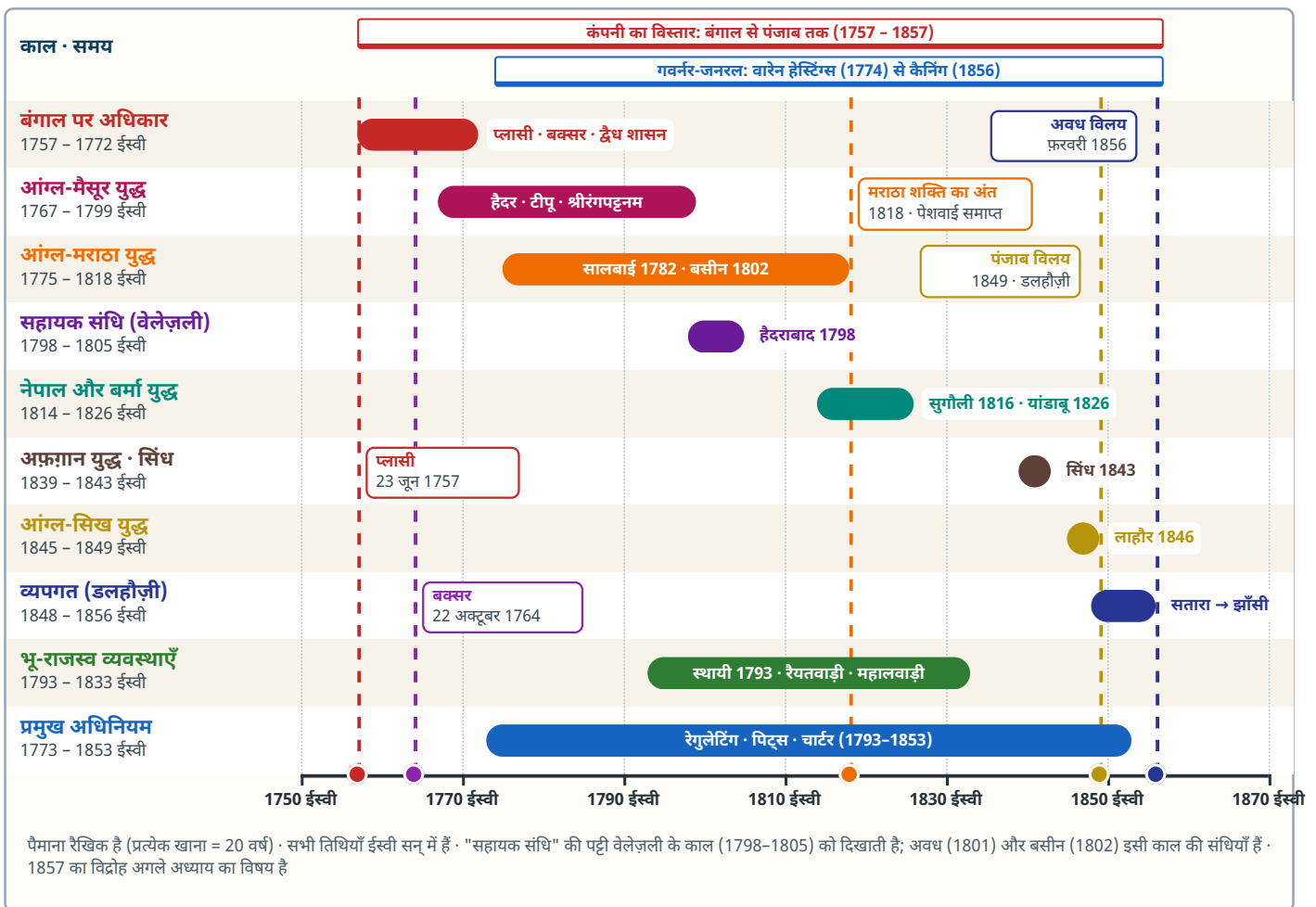
UPPCS प्रारंभिक परीक्षा · सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1 · आधुनिक भारत · अध्याय 13 · शैलेंद्र यादव

पुनरावृत्ति समय: लगभग 15 मिनट · लाल चिह्न [UPPCS वर्ष] = स्थानीय प्रश्नपत्र-फ़ाइलों से सत्यापित पूर्व प्रश्न · UPPCS-pattern = परीक्षा-शैली का बिंदु, वर्ष नहीं · (सत्यापन) = विवादित या स्रोत-जाँच योग्य तथ्य · 1857 का विद्रोह अगले अध्याय में; मैसूर, पानीपत और इलाहाबाद की संधि का विस्तार अध्याय 12 में

15 मिनट में इस अध्याय को कैसे दोहराएँ

- पहले 3 मिनट में समयरेखा देखें; 1757 (प्लासी) → 1764 (बक्सर) → 1773 (रेगुलेटिंग एक्ट) → 1793 (स्थायी बंदोबस्त) → 1798 (सहायक संधि) → 1818 (मराठा पतन) → 1849 (पंजाब विलय) → 1856 (अवध विलय) — यही अध्याय की धुरी है।
- अगले 7 मिनट में युद्ध-सारणी, सहायक संधि, व्यपगत सिद्धांत, गवर्नर-जनरल सारणी, भू-राजस्व व्यवस्थाएँ और अधिनियम पढ़ें; इस अध्याय से 2019 से 2025 तक 10 प्रश्न आए हैं — गवर्नर-जनरल-कार्य मिलान, संधियाँ और घटनाओं का कालक्रम सबसे अधिक।
- अंतिम 5 मिनट में ट्रेप बॉक्स, उत्तर प्रदेश विशेष बॉक्स, स्मृति सूत्र और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करें।

1. मास्टर समयरेखा — ब्रिटिश सत्ता का विस्तार (1757-1857 ईस्वी)



याद रखें

- **प्लासी (1757)** ने कंपनी को बंगाल में राजनीतिक प्रभुत्व दिया और **बक्सर (1764)** ने उसे वैधानिक रूप दिया — **इलाहाबाद की संधि (1765)** से दीवानी मिली और **1765-1772** तक बंगाल में **द्वैध शासन** चला।
- विस्तार के तीन साधन थे — **युद्ध** (मैसूर, मराठा, सिख, नेपाल, बर्मा, अफ़ग़ान), **सहायक संधि** (वेल्लेज़ली, 1798 से) और **व्यपगत सिद्धांत / कुशासन के आधार पर विलय** (डलहौज़ी, 1848-1856)।
- शासन-तंत्र को **रेगुलेटिंग एक्ट (1773)**, **पिट्स इंडिया एक्ट (1784)** और **चार्टर एक्ट (1793, 1813, 1833, 1853)** ने ढाला; राजस्व के लिये **स्थायी बंदोबस्त (1793)**, **रैयतवाड़ी** और **महालवाड़ी** व्यवस्थाएँ बनीं — अलग-अलग क्षेत्रों में अलग व्यवस्थाओं से किसानों में अलग-अलग वर्ग बने **UPPCS 2020**।
- **1818** तक मराठा शक्ति समाप्त हो गई और **1849** में पंजाब तथा **1856** में अवध के विलय से कंपनी लगभग पूरे भारत की **सर्वोच्च (पैरामाउंट) शक्ति** बन गई।

2. काल सारणी — चरण, प्रमुख घटनाएँ और परीक्षा-तथ्य

चरण	काल	प्रमुख घटनाएँ	परीक्षा-तथ्य
बंगाल पर अधिकार	1757-1772	प्लासी (1757), बक्सर (1764), इलाहाबाद (1765), द्वैध शासन (1765-1772)	क्लाइव; मीर जाफ़र, मीर क़ासिम
मैसूर और मराठा	1767-1818	चार आंग्ल-मैसूर (1767-1799), तीन आंग्ल-मराठा (1775-1818)	सालबाई (1782), मंगलौर (1784) UPPCS 2019
सहायक संधि	1798-1805	हैदराबाद (1798), मैसूर (1799), अवध (1801), बसीन (1802)	वेल्लेज़ली; उसकी वापसी (1805) UPPCS 2024
सीमांत युद्ध	1814-1843	नेपाल (1814-1816), बर्मा (1824-1826), अफ़ग़ान (1839-1842), सिंध (1843)	सुगौली (1816) UPPCS 2025
सिख राज्य	1799-1849	रणजीत सिंह, अमृतसर (1809), लाहौर (1846), पंजाब विलय (1849)	अदालत-ए-आला — लाहौर UPPCS 2021
डलहौज़ी	1848-1856	व्यपगत: सतारा (1848) से नागपुर (1854); अवध (1856)	व्यपगत सिद्धांत UPPCS 2025
प्रशासन और राजस्व	1772-1853	रेगुलेटिंग (1773), पिट्स (1784), स्थायी बंदोबस्त (1793), चार्टर (1793-1853)	भू-राजस्व अभिकथन-कारण UPPCS 2020

परीक्षा पंक्ति: "कॉर्नवालिस — स्थायी बंदोबस्त, बेंटिक — सती निषेध, डलहौज़ी — व्यपगत, कर्ज़न — बंगाल विभाजन" — UPPCS 2025 में यही मिलान पूछा गया।

3. बंगाल पर अधिकार — प्लासी, बक्सर और द्वैध शासन (संक्षेप)

- **प्लासी (23 जून 1757):** रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया; सेनापति **मीर जाफ़र** के विश्वासघात (साथ में **जगत सेठ, अमीचंद, राय दुर्लभ**) से निर्णय हुआ; मीर जाफ़र नवाब बना और कंपनी को **24 परगना** की ज़मींदारी मिली। पृष्ठभूमि — कलकत्ता की किलेबंदी, दस्तक का दुरुपयोग और "**काल कोठरी**" (1756, **हॉलवेल का विवरण**) (**सत्यापन**)।
- **मीर क़ासिम (1760-1763):** राजधानी **मुंगेर** ले गया, सेना का आधुनिकीकरण किया और **आंतरिक व्यापार पर सभी चुंगियाँ समाप्त** कर दीं — अंग्रेज़ों से टकराव।
- **बक्सर (22 अक्टूबर 1764):** **हेक्टर मुनरो** ने **मीर क़ासिम, शुजाउद्दौला (अवध)** और **शाह आलम द्वितीय** की संयुक्त सेना को हराया।
- **इलाहाबाद की संधि (1765):** बंगाल, बिहार और उड़ीसा की **दीवानी** कंपनी को; सम्राट को **26 लाख रुपये वार्षिक** और **कड़ा-इलाहाबाद**; शुजाउद्दौला को अवध वापस (50 लाख क्षतिपूर्ति) **UPPCS 2019**।

- **द्वैध शासन (1765-1772):** दीवानी (राजस्व) कंपनी के पास और निज़ामत (प्रशासन, पुलिस, न्याय) नवाब के पास — उत्तरदायित्व किसी का नहीं; कंपनी ने मुहम्मद रज़ा ख़ाँ (बंगाल) और शिताब राय (बिहार) को नायब दीवान बनाया; 1770 का बंगाल अकाल; 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त किया।

4. आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-1818 ईस्वी)

युद्ध	काल / गवर्नर-जनरल	प्रमुख घटनाएँ	संधि / परिणाम
प्रथम	1775-1782; वारेन हेस्टिंग्स	सूरत की संधि (1775) — बंबई सरकार ने रघुनाथराव (राघोबा) का पक्ष लिया; कलकत्ता परिषद की पुरंदर संधि (1776); वडगाँव समझौता (1779) — अंग्रेज़ों की अपमानजनक हार	सालबाई की संधि (17 मई 1782) — महादजी सिंधिया की मध्यस्थता; यथास्थिति, साल्सेट अंग्रेज़ों के पास, रघुनाथराव को पेंशन; बीस वर्ष शांति UPPCS 2019
द्वितीय	1803-1805; वेलेज़ली	होलकर से हारकर बाजीराव द्वितीय ने बसीन की संधि (31 दिसंबर 1802) — सहायक संधि — स्वीकार की; असई (1803) में आर्थर वेलेज़ली और लासवाड़ी (1803) में लेक ने सिंधिया-भोंसले को हराया	देवगाँव (भोंसले, 1803), सुर्जी-अर्जुनगाँव (सिंधिया, 1803), राजपुरघाट (होलकर, 1805-1806) (सत्यापन)
तृतीय	1817-1818; लॉर्ड हेस्टिंग्स	पिंडारियों के विरुद्ध अभियान; खड़की (नवंबर 1817), सीताबर्डी (भोंसले, नवंबर 1817), महिदपुर (होलकर, दिसंबर 1817), कोरेगाँव (जनवरी 1818), अष्टी (फ़रवरी 1818)	पेशवाई समाप्त; बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर (कानपुर) भेजा; प्रताप सिंह के लिये छोटा सतारा राज्य; मंदसौर की संधि (1818) — होलकर

- **नाना फड़नवीस (मृत्यु 1800)** के बाद मराठा महासंघ बिखर गया; उसकी मृत्यु → वेलेज़ली की वापसी (1805) → वेल्लोर विद्रोह (1806) → आंग्ल-नेपाल युद्ध (1814) — यह क्रम पूछा गया **UPPCS 2024**।
- **आंग्ल-मैसूर युद्ध (संक्षेप):** मद्रास (1769), मंगलौर (1784), श्रीरंगपट्टनम (1792) और 1799 में टीपू की मृत्यु — विस्तार अध्याय 12 में।

5. सिख राज्य और आंग्ल-सिख युद्ध

- **रणजीत सिंह (1780-1839):** सुकरचकिया मिसल; 1799 में लाहौर पर अधिकार, 1801 में महाराजा; 1802 अमृतसर, 1818 मुल्तान, 1819 कश्मीर, 1834 पेशावर; राजधानी लाहौर में सर्वोच्च न्यायालय अदालत-ए-आला **UPPCS 2021**; यूरोपीय अधिकारियों (वेंचुरा, एलार्ड) की सहायता से फ़ौज-ए-खास; कोहिनूर उसके पास था।
- **अमृतसर की संधि (25 अप्रैल 1809):** लॉर्ड मिंटो प्रथम के दूत चार्ल्स मेटकाफ़ के साथ — सतलज को सीमा माना गया; सतलज के पूर्व (सिस-सतलज) राज्य अंग्रेज़ों के संरक्षण में।
- **त्रिपक्षीय संधि (1838):** ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह शुजा — प्रथम अफ़ग़ान युद्ध की पृष्ठभूमि; जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अराजकता।
- **प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845-1846; हार्डिंग प्रथम):** मुदकी, फ़िरोज़शाह, आलीवाल, सोबरांव; लाहौर की संधि (9 मार्च 1846) — जालंधर दोआब अंग्रेज़ों को, सेना सीमित, 1.5 करोड़ क्षतिपूर्ति; अमृतसर की संधि (16 मार्च 1846) — कश्मीर गुलाब सिंह को 75 लाख रुपये में; भैरोवाल की संधि (दिसंबर 1846) — अल्पवयस्क दलीप सिंह के लिये ब्रिटिश रेज़िडेंट का संरक्षण।
- **द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध (1848-1849; डलहौज़ी):** मुल्तान में मूलराज का विद्रोह; चिलियाँवाला (जनवरी 1849) और गुजरात (फ़रवरी 1849); 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय; दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेजा, कोहिनूर ब्रिटिश ताज को।

6. नेपाल, बर्मा और अफ़ग़ान युद्ध; सिंध

युद्ध	काल / गवर्नर-जनरल	परिणाम / संधि
आंग्ल-नेपाल (गोरखा) युद्ध	1814-1816; लॉर्ड हेस्टिंग्स	अमर सिंह थापा बनाम ऑक्टरलोनी; सुगौली की संधि (1816) — गढ़वाल, कुमाऊँ, तराई का भाग और पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र कंपनी को; शिमला, रानीखेत, नैनीताल जैसे पहाड़ी स्थल इसी से मिले UPPCS 2025 ; काठमांडू में ब्रिटिश रेज़िडेंट; गोरखा सैनिकों की भर्ती

युद्ध	काल / गवर्नर-जनरल	परिणाम / संधि
प्रथम आंग्ल-बर्मा	1824-1826; एमहर्स्ट	यांडाबू की संधि (1826) — असम, मणिपुर, अराकान, तेनासेरिम
द्वितीय आंग्ल-बर्मा	1852; डलहौज़ी	पेगू (निचला बर्मा) का विलय (तृतीय युद्ध 1885, डफ़रिन)
प्रथम आंग्ल-अफ़ग़ान	1839-1842; ऑकलैंड (समापन एलनबरो)	शाह शुजा को गद्दी; काबुल से लौटती सेना का विनाश (1842); दोस्त मुहम्मद की वापसी — कंपनी की बड़ी विफलता
सिंध का विलय	1843; एलनबरो	चार्ल्स नेपियर — मियानी और दब्बो की लड़ाइयाँ; विलय नैतिक दृष्टि से विवादित

- **सिक्किम:** 1835 में **दार्जिलिंग** पट्टे पर लिया गया और **1850** में डलहौज़ी के काल में सिक्किम के तराई (मोरंग) क्षेत्र का विलय हुआ — 2020 में "सिक्किम का विलय किसने किया" का आयोग-उत्तर **डलहौज़ी** है **UPPCS 2020 (सत्यापन)**।

7. सहायक संधि और व्यपगत सिद्धांत

7.1 सहायक संधि (वेल्लेज़ली, 1798 से)

- **शर्तें:** भारतीय शासक अपने राज्य में **ब्रिटिश सेना** रखेगा और उसका खर्च देगा (बदले में **भू-भाग** सौंपना); दरबार में **ब्रिटिश रेज़िडेंट**; अन्य **यूरोपीय** (विशेषकर फ़्रांसीसी) को सेवा में नहीं रखेगा; अन्य राज्यों से युद्ध या संधि कंपनी की अनुमति से; बदले में कंपनी बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से रक्षा करेगी।
- **स्वीकार करने वाले राज्य (क्रम):** हैदराबाद (सितंबर 1798; पहला) → मैसूर (1799) → तंजौर (1799) → अवध (1801) → पेशवा (बसीन, 1802) → भोंसले (1803) → सिंधिया (1803-1804) → बाद में होलकर (1818) **(सत्यापन)**।
- **मूल विचार** फ़्रांसीसी गवर्नर **डूप्ले** से जोड़ा जाता है; **परिणाम** — भारतीय राज्यों की सेनाएँ भंग, बेरोज़गार सैनिक (पिंडारी), कंपनी की सेना भारतीय खर्च पर; रेज़िडेंट वास्तविक शासक बने।

7.2 व्यपगत सिद्धांत और डलहौज़ी के विलय (1848-1856)

- **व्यपगत सिद्धांत (Doctrine of Lapse):** आश्रित राज्य का शासक **प्राकृतिक उत्तराधिकारी** के बिना मरे तो **दत्तक पुत्र** को राज्य नहीं, केवल निजी संपत्ति मिलेगी और राज्य कंपनी में मिल जाएगा।

विलय	वर्ष	आधार / तथ्य
सतारा	1848	व्यपगत से पहला विलय
जैतपुर, संबलपुर	1849	व्यपगत
बघाट	1850	व्यपगत (बाद में वापस)
उदयपुर (छत्तीसगढ़)	1852	व्यपगत
झाँसी	1853-1854	गंगाधर राव की मृत्यु (नवंबर 1853), दत्तक दामोदर राव अस्वीकृत; मार्च 1854 में विलय
नागपुर	1854	व्यपगत
पंजाब	1849	युद्ध द्वारा
बरार	1853	निज़ाम के बकाये के बदले
अवध	फ़रवरी 1856	कुशासन के आधार पर (व्यपगत नहीं); वाजिद अली शाह

- **डलहौज़ी के अन्य कार्य:** रेलवे (1853, बंबई-ठाणे), टेलीग्राफ़, डाकघर अधिनियम (1854), लोक निर्माण विभाग, वुड का घोषणापत्र (1854); पूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र **नाना साहब** की पेंशन बंद की और मुगल बादशाह की उपाधि समाप्त करने की योजना बनाई।

8. गवर्नर-जनरल — वारेन हेस्टिंग्स से कैनिंग तक

गवर्नर-जनरल	काल	प्रमुख कार्य / घटनाएँ
वारेन हेस्टिंग्स	1774-1785 (बंगाल के गवर्नर 1772 से)	द्वैध शासन का अंत (1772); रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन पहला गवर्नर-जनरल; रोहिला युद्ध (1774) ; प्रथम आंग्ल-मराठा, द्वितीय आंग्ल-मैसूर; नंदकुमार प्रकरण (1775) ; एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल (1784, विलियम जोन्स) UPPCS 2019 ; इंग्लैंड में महाभियोग
कॉर्नवालिस	1786-1793	स्थायी बंदोबस्त (1793) , कॉर्नवालिस संहिता , सिविल सेवा का संगठन, ज़िले में थाना व्यवस्था; तृतीय आंग्ल-मैसूर UPPCS 2025
जॉन शोर	1793-1798	अहस्तक्षेप की नीति; खरडा (1795) में निज़ाम की पराजय पर भी तटस्थ
वेलेज़ली	1798-1805	सहायक संधि , चतुर्थ आंग्ल-मैसूर (1799), फ़ोर्ट विलियम कॉलेज (1800) , अवध संधि (1801), द्वितीय आंग्ल-मराठा; 1805 में वापस बुलाया गया
कॉर्नवालिस (दूसरी बार), जॉर्ज बालो	1805; 1805-1807	कॉर्नवालिस की गाज़ीपुर में मृत्यु (1805); बालो के काल में वेल्लोर विद्रोह (1806)
मिंटो प्रथम	1807-1813	अमृतसर की संधि (1809) ; चार्टर एक्ट 1813
लॉर्ड हेस्टिंग्स (मोड़रा)	1813-1823	आंग्ल-नेपाल युद्ध और सुगौली (1816) , पिंडारी दमन , तृतीय आंग्ल-मराठा; मद्रास में रैयतवाड़ी (1820, मुनरो)
एमहर्स्ट	1823-1828	प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध , यांडाबू (1826)
विलियम बेंटिक	1828-1835	सती निषेध (1829, विनियम XVII) UPPCS 2025 , ठगी दमन (स्लीमैन), अंग्रेज़ी शिक्षा अधिनियम (1835, मैकाले) ; चार्टर एक्ट 1833 से भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल; मैसूर (1831) और कर्ग (1834) का विलय; महालवाड़ी का संशोधन (1833)
चार्ल्स मेटकाफ़	1835-1836	समाचार-पत्रों पर से प्रतिबंध हटाए ("प्रेस का मुक्तिदाता")
ऑकलैंड	1836-1842	प्रथम आंग्ल-अफ़ग़ान युद्ध , त्रिपक्षीय संधि (1838)
एलनबरो	1842-1844	सिंध का विलय (1843) ; दास प्रथा उन्मूलन (1843)
हार्डिंग प्रथम	1844-1848	प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध , लाहौर की संधि (1846)
डलहौज़ी	1848-1856	व्यपगत सिद्धांत , पंजाब (1849) और अवध (1856) का विलय, रेल, तार, डाक UPPCS 2025
कैनिंग	1856-1862	हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856) , 1857 का विद्रोह, कलकत्ता-बंबई-मद्रास विश्वविद्यालय (1857); 1858 से प्रथम वायसराय

9. भू-राजस्व व्यवस्थाएँ

व्यवस्था	प्रवर्तक / वर्ष	क्षेत्र (लगभग भाग)	मुख्य विशेषताएँ
स्थायी बंदोबस्त (ज़मींदारी)	कॉर्नवालिस, 22 मार्च 1793 (सलाहकार जॉन शोर)	बंगाल, बिहार, उड़ीसा; बनारस (1795) ; उत्तरी मद्रास — लगभग 19 प्रतिशत	ज़मींदार भूमि का स्वामी ; राजस्व सदा के लिये निश्चित — लगभग 10/11 भाग सरकार का, 1/11 ज़मींदार का; सूर्यास्त क़ानून (समय पर भुगतान न होने पर नीलामी); किसान बटाईदार बन गए
रैयतवाड़ी	टॉमस मुनरो और कैप्टन एलेक्ज़ेंडर रीड ; बारामहल (1792) में प्रयोग; मद्रास 1820 ; बंबई (विंगेट , गोल्डस्मिड)	मद्रास, बंबई, असम के भाग — लगभग 51 प्रतिशत	सरकार और रैयत (किसान) के बीच सीधा समझौता; किसान को स्वामित्व; 20-30 वर्ष पर पुनर्निर्धारण; दर ऊँची
महालवाड़ी	हॉल्ट मैकेंज़ी (विनियम VII, 1822); संशोधन विनियम IX, 1833 (बेंटिक; रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड , जेम्स टॉमसन)	उत्तर-पश्चिमी प्रांत, पंजाब, मध्य प्रांत के भाग — लगभग 30 प्रतिशत	महाल (गाँव/गाँवों का समूह) इकाई; ग्राम-समुदाय सामूहिक रूप से उत्तरदायी; बर्ड को "उत्तर भारत में भूमि-व्यवस्था का जनक" कहा जाता है; अवधि लगभग 30 वर्ष

- वारेन हेस्टिंग्स की **पंचवर्षीय (1772)** और फिर **वार्षिक (1777)** ठेका-व्यवस्था विफल होने पर **दसवर्षीय बंदोबस्त (1789-1790)** हुआ, जिसे 1793 में स्थायी किया गया।

- अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग व्यवस्थाओं ने ज़मींदार, रैयत, काश्तकार और भूमिहीन मज़दूर जैसे अलग वर्ग बनाए **UPPCS 2020**।

10. प्रमुख अधिनियम (1773-1853)

अधिनियम	मुख्य प्रावधान
रेगुलेटिंग एक्ट, 1773	बंगाल का गवर्नर → बंगाल का गवर्नर-जनरल (वारेन हेस्टिंग्स) और 4 सदस्यीय परिषद ; बंबई और मद्रास बंगाल के अधीन; कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (1774; मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे) ; कंपनी कर्मचारियों पर निजी व्यापार और उपहार का प्रतिबंध
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784	बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल (राजनीतिक मामले) और कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स (वाणिज्यिक मामले) — द्वैध नियंत्रण ; परिषद 3 सदस्य; कंपनी के भारतीय क्षेत्र पहली बार "ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र" कहलाए
1786 का अधिनियम	कॉर्नवालिस को परिषद के निर्णय को रद्द करने और प्रधान सेनापति का पद भी
चार्टर एक्ट, 1793	कंपनी का व्यापार-एकाधिकार 20 वर्ष बढ़ा; बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से
चार्टर एक्ट, 1813	चाय और चीन के व्यापार को छोड़ भारत से कंपनी का व्यापार-एकाधिकार समाप्त ; शिक्षा के लिये प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये ; ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति
चार्टर एक्ट, 1833	बंगाल का गवर्नर-जनरल → भारत का गवर्नर-जनरल (बेंटिक) ; कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियाँ समाप्त — केवल प्रशासनिक संस्था; विधि सदस्य (मैकाले) और विधि आयोग ; धारा 87 — भारतीयों से पद के लिये भेदभाव नहीं
चार्टर एक्ट, 1853	विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण (केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार); सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता ; कंपनी का शासन किसी निश्चित अवधि के लिये नहीं बढ़ाया गया — अंतिम चार्टर

11. मास्टर सारणी — प्रमुख युद्ध और संधियाँ (कालक्रम सहित)

युद्ध / संधि	वर्ष	पक्ष	परिणाम / परीक्षा-तथ्य
प्लासी	1757	क्लाइव - सिराजुद्दौला	मीर जाफ़र नवाब
बक्सर	1764	मुनरो - मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम	कंपनी की निर्णायक विजय
इलाहाबाद की संधि	1765	क्लाइव - शाह आलम, शुजाउद्दौला	दीवानी UPPCS 2019
सूरत की संधि	1775	बंबई सरकार - रघुनाथराव	प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध का आरंभ
सालबाई की संधि	1782	अंग्रेज़ - मराठे (सिंधिया की मध्यस्थता)	20 वर्ष शांति UPPCS 2019
बसीन की संधि	1802	अंग्रेज़ - बाजीराव द्वितीय	पेशवा द्वारा सहायक संधि
अमृतसर की संधि	1809	मेटकाफ़ (मिंटो) - रणजीत सिंह	सतलज सीमा
सुगौली की संधि	1816	अंग्रेज़ - नेपाल	गढ़वाल-कुमाऊँ UPPCS 2025
यांडाबू की संधि	1826	अंग्रेज़ - बर्मा	असम, मणिपुर
लाहौर की संधि	1846	अंग्रेज़ - सिख	जालंधर दोआब
पंजाब विलय	1849	डलहौज़ी	द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध के बाद
अवध विलय	1856	डलहौज़ी - वाजिद अली शाह	कुशासन के आधार पर UPPCS 2025
पुरंदर की संधि (मराठा)	1776	कलकत्ता परिषद - नाना फड़नवीस	सूरत की संधि रद्द
देवगाँव / सुर्जी-अर्जुनगाँव	1803	भोंसले / सिंधिया - अंग्रेज़	द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध
भैरोवाल की संधि	1846	अंग्रेज़ - लाहौर दरबार	रेज़िडेंट का संरक्षण

12. ट्रेप बॉक्स — क्या नहीं हो सकता

इन कथनों को तुरंत काटें

- सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य अवध था — गलत; पहला हैदराबाद (1798); अवध ने 1801 में स्वीकार की।
- अवध का विलय व्यपगत सिद्धांत से हुआ — गलत; अवध का विलय कुशासन के आधार पर (1856) हुआ।
- स्थायी बंदोबस्त में राजस्व किसान से सीधे लिया जाता था — गलत; यह ज़मींदार से; किसान से सीधा समझौता रयतवाड़ी है; गाँव-समुदाय महालवाड़ी है।
- चार्टर एक्ट 1833 से व्यापार-एकाधिकार पहली बार समाप्त हुआ — गलत; भारत का व्यापार-एकाधिकार 1813 में समाप्त हुआ; 1833 में कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियाँ (चाय और चीन सहित) समाप्त हुईं।
- बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट से बना — गलत; यह पिट्स इंडिया एक्ट (1784) से बना।
- सालबाई की संधि द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के बाद हुई — गलत; सालबाई (1782) — प्रथम युद्ध; बसीन (1802) — द्वितीय युद्ध का कारण।
- अमृतसर की संधि (1809) से कश्मीर गुलाब सिंह को मिला — गलत; वह 1846 की अमृतसर संधि है; 1809 की संधि रणजीत सिंह के साथ सतलज सीमा की थी।
- वारेन हेस्टिंग्स एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष थे — गलत; उन्होंने अध्यक्षता विलियम जोन्स के पक्ष में अस्वीकार की; उनका प्राच्य-प्रेम सत्य है, पर वह इस अस्वीकृति की व्याख्या नहीं **UPPCS 2019**।
- काठमांडू सुगौली की संधि से कंपनी को मिला — गलत; काठमांडू में केवल रेज़िडेंट रखा गया **UPPCS 2025**।
- डलहौज़ी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी माना — गलत; दत्तक दामोदर राव को अस्वीकार कर झाँसी का विलय किया गया।

13. उत्तर प्रदेश विशेष

उत्तर प्रदेश — कंपनी शासन का विस्तार और राजस्व व्यवस्था

- अवध की सहायक संधि (10 नवंबर 1801): वेलेज़ली ने नवाब सआदत अली ख़ाँ से सहायक सेना के खर्च के बदले लगभग आधा राज्य लिया — रोहिलखंड, गोरखपुर और निचला गंगा-यमुना दोआब (इलाहाबाद, कानपुर, इटावा आदि); 1802 में फ़र्रुखाबाद के बंगश नवाब का क्षेत्र भी मिला (सत्यापन)। ये "सीडेड (सौंपे गए) प्रांत" कहलाए; 1803 में सिंधिया से जीते आगरा, ऊपरी दोआब और दिल्ली क्षेत्र "विजित प्रांत" कहलाए।
- बनारस का स्थायी बंदोबस्त (1795): बनारस प्रांत (रेज़िडेंट जोनाथन डंकन) में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ; इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश (वाराणसी, जौनपुर, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर) में ज़मींदारी व्यवस्था रही।
- महालवाड़ी — उत्तर-पश्चिमी प्रांत: हॉल्ट मैकेंज़ी का विनियम VII (1822) — गाँव-वार सर्वेक्षण की जटिलता से धीमी प्रगति; विनियम IX (1833) से सरल बनाया गया और रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड (1833-1841) ने लगभग 30 वर्ष का बंदोबस्त किया; जेम्स टॉमसन (लेफ़्टिनेंट गवर्नर 1843-1853) ने पूरा किया।
- उत्तर-पश्चिमी प्रांत (1836): चार्टर एक्ट 1833 में प्रस्तावित आगरा प्रेसिडेंसी के स्थान पर 1836 में उत्तर-पश्चिमी प्रांत बना — लेफ़्टिनेंट गवर्नर, मुख्यालय आगरा (पहले लेफ़्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स मेटकाफ़); 1858 में मुख्यालय इलाहाबाद गया; 1877 में अवध से जुड़ा और 1902 में "संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध" बना।
- झाँसी का विलय (1853-1854): राजा गंगाधर राव की मृत्यु (21 नवंबर 1853) के बाद दत्तक दामोदर राव को अस्वीकार कर मार्च 1854 में व्यपगत सिद्धांत से विलय; रानी लक्ष्मीबाई को पेंशन।
- अवध का विलय (फ़रवरी 1856): रेज़िडेंट जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर नवाब वाजिद अली शाह को हटाया; वे कलकत्ता (मटियाबुर्ज) भेजे गए; अवध का चीफ़ कमिश्नर शासन — यह 1857 में अवध के व्यापक विद्रोह का प्रमुख कारण बना **UPPCS 2025**।
- अन्य संबंध: पूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय को 1818 में बिठूर (कानपुर) में पेंशन पर रखा गया; कॉर्नवालिस की 1805 में गाज़ीपुर में मृत्यु हुई, उनका मकबरा वहीं है।